

( भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ )

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं० 46 (आर ई: 2012)/2009-2014 दिनांक: 31 जनवरी, 2013

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I में सुधार/संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I (आयात और निर्यात प्रपत्र), 2009-2014 में निम्नलिखित सुधार/संशोधन करते हैं:-

2. कुछ मर्चों के आईटीसी एचएस कोड विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 02.03.2009 की अधिसूचना सं.94 (आरई-2008)2004-2009 के द्वारा पुनः अधिसूचित किए गए थे। परिशिष्ट-37क और परिशिष्ट 37घ की तदनु रूप प्रविष्टियां तदनुसार संशोधित नहीं की गई थीं। इसे अब इस सार्वजनिक सूचना में क्रियान्वित किया जा रहा है:

(क) परिशिष्ट 37क (वीकेजीयूवाई) में, निम्नलिखित तालिका के कालम 4 में आईटीसी (एचएस) कोड संशोधित किए जा रहे हैं [मौजूदा कोड कालम 3 पर है]:

तालिका 2					
क्रम सं.	वीकेजीयूवाई उत्पाद कोड	मौजूदा आईटीसी एचएस कोड	संशोधित आईटीसी एचएस कोड	विवरण	प्रभावी तारीख
50	50	14030010	14049090	ब्रशों के लिए पाम फाइबर	02.03.2009

टिप्पणी: मौजूदा/संशोधित आईटीसी (एचएस) कोड वाले पोतलदान बिल लाभ का दावा करने के हकदार होंगे।

(ख) परिशिष्ट 37घ (एफपीएस) में, निम्नलिखित तालिका के कालम 4 में आईटीसी (एचएस) कोड संशोधित किए जा रहे हैं [मौजूदा कोड कालम 3 पर है]:

तालिका 1					
क्रम सं.	एफपीएस उत्पाद कोड	मौजूदा आईटीसी एचएस कोड	संशोधित आईटीसी एचएस कोड	विवरण	प्रभावी तारीख
45	45	70120000	70200019	वैक्यूम फ्लास्क या अन्य वैक्यूम वेसल्स के लिए ग्लास इनर्स	02.03.2009
259	259	852340, 852351 और	852341, 852349,	दृष्टि मीडिया उत्पाद यथा- सीडी, डीवीडी तथा गैर-	01.01.2012

		852352	852351और 852352	वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइसेज	
124	124	46021011	46021911	पाम लीफ बास्केट आदि	02.03.2009
125	125	46021019	46021919	बास्केट के अलावा पाम लीफ मर्दे	02.03.2009
126	126	46021090	46021990	अन्य-बास्केटवर्क, विकरवर्क तथा अन्य वस्तुएँ जोकि प्लेटिंग सामग्री से प्रत्यक्षतः आकार देकर बनी हों अथ वा शीर्ष 4601: लूफा की वस्तुएँ के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सामग्री से निर्मित हों	02.03.2009
370	370	65059000	65050090	अन्य हैडगियर, हैट, बुने हुए/क्रोशिया किए गए लेसों इत्यादि से निर्मित डब्ल्यू/ एन लिन्ड/ट्रिम्ड सहित/ रहित)	02.03.2009
88	88	74181910	74181024	इपीएनएस वेयर्स	02.03.2009
89	89	74181930	74181039	अन्य टेबल, रसोई अथवा अन्य घरेलू वस्तुएँ	02.03.2009
93	93	76151940	76151030	अल्यूमिनियम के अन्य टेबल और रसोई के सामान	02.03.2009
121	121	940150	94015100	बेंत, ओसियर, बांस की सीटें/समान वस्तुएं-बांस या रतन के बेंत, ओसियर, बांस की सीटें/समान वस्तुएं-अन्य	02.03.2009
			94015900	बेंत, ओसियर, बांस की सीटें/समान वस्तुएं-बांस या रतन के बेंत, ओसियर, बांस की सीटें/समान वस्तुएं-अन्य	02.03.2009
122	122	94038010	94038100	बांस या रतन का फर्नीचर	02.03.2009
123	123	94038090	94038900	अन्य-केन, ओजियर, बांस अथवा समान पदार्थों सहित अन्य सामग्री के फर्नीचर	02.03.2009
76	76	9501	95030010	लकड़ी की गुड़िया	02.03.2009
77	77	9502	95030020	धातु की गुड़िया	

78	78	9503	95030090	अन्य-बच्चों द्वारा चलाए जाने वाले पहिएदार खिलौने (जैसे ट्राइसाईकिल, स्कूटर, पेडल कार); लकड़ी, धातु अथवा प्लास्टिक के अलावा किसी सामग्री से बनाए जाने वाली गुड़िया गाड़ी।	
402	402	96147020	96140000	नारियल का हुक्का	02.03.2009

टिप्पणी: मौजूदा/संशोधित आईटीसी (एचएस) कोड वाले पोतलदान बिल लाभ का दावा करने के हकदार होंगे।

(ग) परिशिष्ट 37घ (एफपीएस) में, निम्नलिखित तालिका के कालम 5 के विवरण संशोधित किए जा रहे हैं [मौजूदा कोड कालम 4 पर है]:

तालिका 1					
क्रम सं.	एफपीएस उत्पाद कोड	आईटीसी एचएस कोड	मौजूदा विवरण	संशोधित विवरण	प्रभावी तारीख
245	245	63026010	टॉयलेट लिनेन और किचन लिनेन जोकि टेरी टॉवलिंग या ऐसे ही टेरी फेब्रिक के, कॉटन के हों	टॉयलेट लिनेन और किचन लिनेन जोकि टेरी टॉवलिंग या ऐसे ही टेरी फेब्रिक के, कॉटन-हैंडलूम के हों	24.09.2008
		63026090	फेब्रिक के, कॉटन के हों	टॉयलेट लिनेन और किचन लिनेन जोकि टेरी टॉवलिंग या ऐसे ही टेरी फेब्रिक के, कॉटन के हों- अन्य	

3. परिशिष्ट 37घ (एफपीएस) में, तालिका 1 के तहत कुछ क्रम संख्या के विवरण/कोड निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं:

एफपीएस उत्पाद कोड	आईटीसी एचएस कोड	मौजूदा विवरण	संशोधित विवरण	प्रभावी तारीख	
522	522	70181090	अन्य-ग्लास बीड्स, बनावटी मोती, बनावटी मोती, बनावटी बहुमूल्य रत्न, अर्ध बहुमूल्य रत्न और ऐसे ही कांच की छोटी वस्तुएं	अन्य-ग्लास बीड्स, बनावटी मोती, बनावटी मोती, बनावटी बहुमूल्य रत्न, अर्ध बहुमूल्य रत्न और ऐसे ही कांच की छोटी वस्तुएं	05.06.2012

567	567	63049200	काटन की अन्य सजावटी वस्तुएं, बिना बुने हुए या क्रोशियाकृत	63049290	05.06.2012
646	646	62142010	ऊन अथवा फाइन एनिमल हेयर की शालें हैण्ड प्रिंटेड	ऊन अथवा फाइन एनिमल हेयर की शालें	05.06.2012
617	617	हटा दिया गया है क्योंकि इसे परिशिष्ट 37घ की तालिका 1 की क्रम सं.26 में पहले ही शामिल कर लिया गया है।			
618	618	हटा दिया गया है क्योंकि इसे परिशिष्ट 37घ की तालिका 1 की क्रम सं.567 में पहले ही शामिल कर लिया गया है।			
625	625	हटा दिया गया है क्योंकि इसे परिशिष्ट 37घ की तालिका 1 की क्रम सं.26 में पहले ही शामिल कर लिया गया है।			

4. दिनांक 13.5.2010 की सार्वजनिक सूचना सं.63/2009-14 के द्वारा आईटीसी एचएस कोड 0305 के तहत 'सूखे मत्स्य उत्पादों' के निर्यात पर वीकेजीयूवाई स्क्रिप्ट प्रदान करने पर लगाए गए अधिकतम मूल्य की सीमा को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

5. प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-I के पैरा 2.63 (घ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

पैरा सं. एचबीपी	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
पैरा 2.63 (घ) आरसीएमसी जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी	लघु वन्य उत्पाद तथा उनके मूल्य संवर्धित उत्पाद के निर्यातक शेफेक्सिल, ईपीसी से आरसीएमसी प्राप्त करेंगे। साफ्टवेयर निर्यातक स्वयं को इलेक्ट्रानिक और साफ्टवेयर ईपीसी में पंजीकृत करेंगे।	लघु वन्य उत्पाद तथा उनके मूल्य संवर्धित उत्पाद के निर्यातक शेफेक्सिल, ईपीसी से आरसीएमसी प्राप्त करेंगे। <b>इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर/सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम सेवाओं (आईटीईएस)</b> के निर्यातक स्वयं को इलेक्ट्रानिक एवं <b>कम्प्यूटर</b> साफ्टवेयर ईपीसी में पंजीकृत करेंगे।

6. आईटीसी एचएस कोड और कुछ मदों के विवरण जिन्हें दिनांक 31.12.2012 की सार्वजनिक सूचना सं.42 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, परिशिष्ट 37क (वीकेजीयूवाई) और परिशिष्ट 37घ (एफपीएस) के संगत स्थानों पर निम्नानुसार संशोधित किए जा रहे हैं-

क्रम सं./ तालिका	एफपीएस/ वीकेजीयूवाई	मौजूदा आईटीसी एचएस कोड	संशोधित आईटीसी एचएस कोड	मौजूदा विवरण	संशोधित विवरण
797/तालिका 2	वीकेजीयूवाई	2105	2105	खाद्य विनिर्मितयां जो अन्य स्थान पर विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हों।	आइसक्रीम और अन्य खाद्य आईस, जिसमें कोको हो या नहीं हो।
678/तालिका 1	एफपीएस	58013410	58013711	मखमल	मखमल
192/तालिका 1	एफपीएस	590310	590310	पोलीविनाईल	शीर्ष सं.5902

				क्लोराइड युक्त पीवीसी लैदर क्लॉथ: कॉटन के बनावटी लेदर फैब्रिक	को छोड़कर पीवीसी से संसेचित, लेपित/आवरित/लेमिनेटेड फैब्रिक
645/तालिका 1	एफपीएस	62141020	62141020	शालें (60 सें.मी. से बड़ी) और उसी प्रकार की हैन्डप्रिन्टेड शालें	शालें स्कार्फ, मफलर, मेन्टीलास, परदे तथा ऐसी (60 सें.मी. से बड़ी) सिल्क और सिल्क अपशिष्ट वस्तुएं
186/तालिका 2	एमएलएफपीएस	29152100	29153100	ईथाइल एसीटेट	ईथाइल एसीटेट
450/तालिका 1	एफपीएस	391000	391000	मूल रूप में सिलिकन: सिलिकन रेजिन्स	मूल रूप में सिलिकन

7. सार्वजनिक सूचना सं.42 दिनांक 31.12.2012 के पैरा 4 में यथा उल्लिखित दिनांक 01.01.2013 से किए गए निर्यात के लिए 2 प्रतिशत बोनस लाभ के लिए हकदार परिशिष्ट 37घ (फोकस उत्पाद स्कीम) की तालिका 1 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 84143000 रेफ्रिजरेटिंग उपस्करों में उपयोग किए जाने वाले कम्प्रेसर के अंतर्गत उत्पाद की क्रम सं. को 76 से 105 तक शुद्ध किया जाता है।

8. वीकेजीयूवाई की तालिका 2 की क्रम सं. 798 के अधीन टिप्पणी-1 को शामिल किया गया है:- आईटीसी (एचएस) कोड 1208 में शामिल उत्पादों में 51 प्रतिशत प्रोटीन से अधिक खाद्य ग्रेड को ही सम्मिलित किया जाता है।

9. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: परिशिष्टों के अंतर्गत विभिन्न मदों को समेकित करते समय क्रम सं., उत्पाद विवरण इत्यादि में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। इन त्रुटियों का समाधान किया जा रहा है। इसके अलावा, आईटीसी (एचएस) कोडों के समन्वय के कारण नए कोडों का उनके वर्णन सहित उल्लेख किया गया है जो परिशिष्ट 37क एवं 37घ के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

( अनुप के0 पूजारी )  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई-मेल: [dgft\[at\]nic\[dot\]in](mailto:dgft[at]nic[dot]in)

(01/61/180/0050/एमम13/पीसी-3 से जारी)